2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

विलोपित

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निग - 2711 - PBR-16

निगरानी कमाक /2016

आशाराम पुत्र रमेश जाति कुशवाह निवासी ग्प्रम खैरवाया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

..आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि 12-8-16 को प्रस्तुत
12-8-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाट निवासी ग्प्रम खैरवाया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर म.प्र.

...........अनावेदकगण

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. के प्रकरण क 48 / 15–16 अपील माल में पारित आदेश 13.7.2016 के विरूद्ध ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (आशाराम / राजेन्द्र)

प्रकरण कमांक निगरानी 2711–पीबीआर / 2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.11.16	आवेदक की ओर से सुनील सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा पेनल लॉयर उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता व स्थगन पर सुना । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–07–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 मे हुये संशोधन के फलस्वरूप एक बार में 3 माह से अधिक की अवधि के लिये स्थगन नहीं दिया जा सकता है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से असीमित अवधि के लिये स्थगन दिया जाना प्रतीत होता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया विधि विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें । अध्यक्ष	